

प्रेस नोट दिनांक 22.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले 02 अभियुक्तों को 225 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब एवं शराब बनाने की सामग्री व उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 225 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब एवं शराब बनाने की सामग्री व उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आगामी पंचायती चुनाव एवं होली के त्यौहार की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था तभी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की ग्राम बिजौली में एक मकान में दो लोग अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बना रहे हैं । सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंची तो वहाँ कुछ लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे जोकि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे । जिन्हे पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया तथा उनके कब्जे से अवैध अपमिश्रित शराब एवं शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद की गयी ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 128/21 धारा 60 (क)/63 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.देवेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र स्व0 हरीबाबू नि0 बिजौली थाना बकेवर जनपद इटावा
- 2.रामचन्द्र पुत्र शिवनाथ निवासी जलोखर थाना कोतवाली औरैया जनपद इटावा

बरामदगी:-

1. 200 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 04 ड्रम से
2. 25 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 02 प्लास्टिक की कट्टी से
3. 02 बडे ड्रम खाली
4. 05 किलो यूरिया प्लास्टिक के कट्टे में ।

पुलिस टीम:- श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर , 30नि0
बृजनन्दन सिंह, का0 अंकित, का0 सुमित , का0 ओमवीर , का0 मीनू , का0
योगेश, का0 अवनीश

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा ।